

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 981 / 2010 / डूंगरपुर.

मैसर्स श्री गणेश एन्टरप्राइजेज, वर्धमाननगर, नागपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 11 / 6 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 20 / आरएसटी / 2000–01 / एनआरडी / 08–09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(5) के तहत के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.2.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.2.2001 को अहमदाबाद-उदयपुर मार्ग पर वाहन संख्या आर.एन.जी./2902 को चैक किये जाने पर वाहन में 'सूखी मिर्ची' नागपुर से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 1576 दिनांक 17.2.2001, इन्वॉयस संख्या 848 दिनांक 17.2.2001 एवं घोषणा पत्र एस.टी.18ए संख्या 15280 / 20 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच पर घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए पूर्णतया रिक्त पाया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा रिक्त घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए से अधिसूचित माल राज्य में परिवहन किये जाने में अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए क्रेता व्यवहारी मैसर्स सत्यनारायण सुरेश कुमार जोधपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी (प्रेषक व्यवहारी) द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जावे। उक्त जवाब के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपूर्ण घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के साथ माल परिवहन किये जाने में

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 82,636/- आरोपित करने का आदेश दिनांक 23.2.2001 को पारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2010 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी, बिल एवं घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए मौजूद थे एवं ट्रांसपोर्टर की गलती से घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के कॉलम्स भरे जाने से रह गये थे, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और न ही करापवंचन की मंशा थी। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के अंतर्गत वांछित सभी वैद्य दस्तावेज उपलब्ध होने से केवल घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के कॉलम्स रिक्त रह जाने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। इसलिये सक्षम अधिकारी का अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध पारित शास्ति आरोपण का आदेश अविधिक एवं अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने भी शास्ति आदेश की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए पूर्णतया रिक्त पाया जाना अधिनियम की धारा 78(2)(ए) व नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि वक्त चैकिंग वहनित माल हेतु अपूर्ण अथवा रिक्त घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत किया जाना अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं इसके लिए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण योग्य है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के अपूर्ण घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के समर्थन से अधिसूचित माल राज्य में परिवहनित किये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई।

लगातार.....3

थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित रूप से अवलोकन करने के पश्चात सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी एवं घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए उपलब्ध थे, परन्तु घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए पूर्णतया रिक्त था। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में अभिनिर्धारित किया गया है कि वक्त परिवहन घोषणा पत्र एस.टी.18ए के कॉलम रिक्त/अपूर्ण पाये जाने पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण इस न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है।

अतएव प्रकरण के तथ्यों, विधिक स्थिति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग अपीलार्थी व्यवहारी के अपूर्ण घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए से अधिसूचित माल राज्य में परिवहनित कर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी थी। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में शास्ति आदेश की पुष्टि किया जाना भी पूर्णतया विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
११/०६/२०१५
सदस्य